

In the Court of Additional Sessions Judge-II
Vaishali at Hajipur

Sessions Trial No. 370/2024
Hajipur Sadar P.S case no. 182/2023

आदेश

13-05-2024

पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आज V.C. operator श्री पवन कुमार के मोबाईल के माध्यम से संबंधित कारा हाजीपुर को लिंक भेजा और वहाँ उपस्थित जेल सहायक अधीक्षक, श्री विनोद सिंह से V.C. के माध्यम से Charge framing के पूर्व V.C rules के अनुसार ध्वनि एवं फोटो तथा अभियुक्त के पहचान को भी सुनिश्चित किया गया।

एक मात्र काराधीन अभियुक्त रंजीत पासवान को हाजीपुर कारा से V.C. के माध्यम से उपस्थापना कराया गया।

आरोप के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 306 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आरोप गठन किया गया तथा हिन्दी में सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताएँ एवं विचारण की माँग किये। **कार्यालय आरोप पत्र** में नामित साक्षियों के विरुद्ध साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत करें तथा अभियोजन अपने माध्यम से भी साक्षी प्रस्तुत करें। **कार्यालय को यह भी निर्देश** दिया जाता है कि आरोप गठित होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, कार्यालय, वैशाली को करे तथा आरोप पत्र में नामित साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु इस आदेश फलक की एक प्रति कार्यालय तत्काल प्रेषित करे दे ताकि निश्चित तिथियों पर उनकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके।

दिनांक 30.07.2024 साक्ष्य हेतु।

A.D.J.-II
Vaishali at Hajipur